



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND



Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 537/28 व्यघ-सा0/16  
सेवा में,

दिनांक 13/04/2016

सचिव,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषय:- लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अध्याचन के प्रेषण के सम्बन्ध में।  
सन्दर्भ:- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, लोक निर्माण विभाग के पत्र संख्या- 1711/III (1)/15-56(अधि0)/2008 दिनांक 21.11.2015  
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 462/XXX (2)03(11)/15 दिनांक 17.11.15 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए उक्त पत्र में उल्लेखित निर्देशों के क्रम में समूह 'ख' तथा समूह 'ग' के अन्तर्गत रिक्तियों तथा 02 वर्ष के अन्दर घटित होने वाली सीधी भर्ती की रिक्तियों को आगणित करते हुए रिक्तियों का अध्याचन तैयार कर चयन संस्था/शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या- 1404/28व्यघ-सा0/14 दिनांक 14.08.14 द्वारा पूर्व में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) का सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन शासन को प्रेषित किया गया था, जो कि शासन के पत्र संख्या- 1577/III(1)13-131(अधि0)/06 दिनांक 21.08.2014 से आयोग को भी प्रेषित किया जा चुका है।

शासनादेश संख्या- 245/III(1)/13-190 (PWD) / 2001, दिनांक 28.02.2015, 1399/III(1)/15-190 (PWD) 2001, टी0सी0 दिनांक 23.09.2015 एवं शासनादेश संख्या- 1813/III(1)/15-190 (PWD) / 2001 दिनांक 15.12.2015 एवं से कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के 18 अतिरिक्त पद स्वीकृत होने के फलस्वरूप कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के वर्तमान में कुल 112 पद स्वीकृत है। जिसमें से 50 प्रतिशत पदों निति हेतु कोटे के है एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के है। अगामी 02 वर्षों में सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/ यांत्रिक) पदों में कोई घटित रिक्तियां नहीं है।

अतः उक्त सन्दर्भित शासनादेशों द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के अतिरिक्त पद स्वीकृत होने के फलस्वरूप सीधी भर्ती के 09 पदों का अध्याचन प्रपत्र-1 एवं कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल/प्राविधिक/विद्युत/यांत्रिक) सेवानियमावली 2007 की छायाप्रति संलग्न कर लोक सेवा आयोग को भेजे जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- 1. अध्याचन  
2. सेवा नियमावली, 2007 की छायाप्रति

9/4 (एच0के0 उप्रेती)  
प्रमुख अभियन्ता  
13/4/16

अधियाचन प्रपत्र-1

|   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | (क) पद का नाम                                                                                                                                | कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक)<br>कुल स्वीकृत पद- 112<br>सीधी भर्ती के पद- 56<br>पदोन्नति के पद @ 50%- 56                                                                                                                                                                                                            |
|   | (ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ तो यह पद कब सृजित किया गया था-<br>यदि यह पद नया नहीं है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ-            | शासनादेश संख्या-245/III(1)/13-190 (पी0डब्लू0डी0) / 2001, दिनांक 28.02.2015, 1399/III(1)/15-190 (पी0डब्लू0डी0) 2001, टी0सी0 दिनांक 23.09.2015, शासनादेश संख्या- 1288/III(1)/14-190 (पी0डब्लू0डी0) 2001 टी0सी0 दिनांक 30.06.2014 एवं शासनादेश संख्या- 1813/III(1)/15-19-190 (पी0डब्लू0डी0) / 2001 दिनांक 15.12.2015 |
|   | (1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है-                                                                                                | जी हाँ, वर्ष 2011 में लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड के माध्यम से चयनित कनिष्ठ अभियन्ताओं की नियुक्ति कर दी गयी है।                                                                                                                                                                                                     |
|   | (2) यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है-                                                                                           | वर्ष 2011 से                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | (3) क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये- | उपरोक्तानुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | (4) यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियाँ बतायी जाये जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी-                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (I) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है-                                                                                               | जी हाँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | (II) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है-                                                                                    | अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा।                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | (III) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है-                                         | जी हाँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | (ग) स्वीकृत पदों की संख्या-                                                                                                                  | 112-56*=56<br>*50% प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत पदोन्नति के पद                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | (घ) स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल सं०-                                                                                         | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | (ङ) स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल सं०-                                                                                           | 26* + 9=35<br>26* पदों का अधियाचन पूर्व में माह 08/14 को आयोग को भेजा गया है।                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | (च) भरे जाने वाले पदों की सं०-                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (1) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु०जाति के अभ्यर्थियों के लिये-                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (2) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनु०जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये-                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (3) उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये-                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | (4) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये-                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तिया प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है?<br>उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय। | हाँ, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शा0सं0-1454/कार्मिक-2-2001 दिनांक 31.08.01 के अनुसार रोस्टर क्रमांक<br>1. सामान्य का रोस्टर क्रमांक:- 52, 53, 55, 57<br>2. अनुसूचित जाति का रोस्टर क्रमांक :- 51,56<br>3. अन्य पिछड़ा वर्ग का रोस्टर क्रमांक :- 54, 63, 70 |
|   | (ज) क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनु0जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिये श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार से दिया जाये-                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (1) उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये-                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (2) उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिये-                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (3) उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिये-                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये-                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (ख) श्रवण हास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये-                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (ग) चलनक्रिया सम्बन्धी निःशक्ता या प्रमस्तिकीय अपंगता के लिये-                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | टिप्पणी:- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाए।                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (4) उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये-                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (5) उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों के लिये-                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | (6) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थी के लिये-                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 | क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रणीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है ?                                                                                             | हाँ।                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित                                                                                                                                                                                                                                                  | अराजपत्रित।                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है ? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा-                                                                                                                                                                                                 | स्थायी।                                                                                                                                                                                                                                                           |

|    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | पद का वेतनमान - (बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित)                                              | वेतन बैण्ड-3<br>रु0 9300-34800+ ग्रेड पे रु0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते।                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6  | क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक- | वेतन बैण्ड-3<br>रु0 9300-34800+ ग्रेड पे रु0 4600 एवं अनुमन्य भत्ते।                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7  | क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का-                              | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार।                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो-                                                                    | 02 वर्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9  | पद के कर्तव्य-                                                                                 | मार्ग/सेतु/भवन कार्यो का निर्माण/रखरखाव एवं टैक्नीकल कार्य ।                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा-                                        | नियुक्ति के एक माह के अन्दर।                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है?                                    | शासनादेश संख्या 21/XXVII (7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.05 के अनुसार।                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12 | कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे नि: शुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि।                             | जी नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | अपेक्षित अर्हतायें-                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बाते सम्मिलित है-     | डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग।                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | (ख) अधिमान्य अर्हतायें यदि कोई हो-                                                             | अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने-<br>(क) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या<br>(ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी0' प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो, और<br>(ग) प्रशिक्षणार्थी के रूप में सफलतापूर्वक एक वर्ष का प्रशिक्षण |
|    | (ग) कोई अन्य अर्हताएं-                                                                         | कोई नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | (घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती है, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है-         | जी नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए-             | जी नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 | पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है-                                                           | शासनादेश संख्या- 3295/111(1)/07-39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | टिप्पणी:- सम्बन्धित सेवा नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की पूर्ण प्रतियाँ संलग्न की जाय।   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | आयु सीमायें-                                                                                   | उत्तराखण्ड शासन कार्मिक अनुभाग-2                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | (क) निम्न आयु सीमा-                                                                            | 21 वर्ष। संख्या 107/XXX(2)/2014 55(41)2004                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | (ख) अधिकतम आयु सीमा-                                                                           | 42 वर्ष। दिनांक 25.02.2014, के                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|    |     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (ग) | क्या अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विद्यमान शासनादेशों/सेवा नियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस-किस श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती है— | शासनादेश संख्या 1399/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष का शिथिलीकरण।<br>शासनादेश संख्या 1244/XXX (2)/05 दिनांक 21.05.2005 द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष का शिथिलीकरण।                                                                                                                                                                                                               |
|    | (घ) | आयु सीमा की गणना के लिए नियत तिथि का उल्लेख किया जाय—                                                                                                                                               | भर्ती वर्ष के प्रथम जुलाई को आयु न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 |     | अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है—                                                                                                                                                           | भारतीय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 |     | अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति क्या अपेक्षित है—                                                                                                                                                        | सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:<br>परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।                                                                                            |
| 18 |     | अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है—                                                                                                                                                 | सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।<br>टिप्पणी— संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। |
| 19 |     | अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है—                                                                                                                                       | मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20 |     | क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है? यदि हाँ तो पुरुष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाय                                                                        | जी नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 21 |     | क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है, यदि हाँ, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा। उन शर्तों को बताइये, जो उनके पदों में शिथिल की जायेगी।                                                 | आयु सीमा के अर्न्तगत योग्यताधारक पात्र है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                      |                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 22 | क्या अध्याचन में दिए गए विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित मद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय- | हाँ, शासनादेश संख्या- 3295/111(1)/07-39 (अधि0)/06 दिनांक 22.11.2007 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

अध्याचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

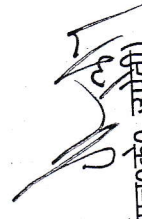
पूरा नाम- (एच0के0 उप्रेती)  
पद नाम-प्रमुख अभियन्ता

विभाग द्वारा रिक्त पदों की गणना

सीधी भर्ती के कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के विभिन्न श्रेणीयों के रिक्त पदों में क्षैतिज आरक्षण के पदों की संख्या

कुल स्वीकृत पदों की संख्या- 112  
सीधी भर्ती के पद-56  
पदोन्नति के @50%-56

| क्र० सं० | श्रेणी                | स्वीकृत पद | भरे पद | अवशेष रिक्त पद | महिला 30 % | विकलांग 3 % | भूतपूर्व सैनिक 5 % | स्व०सं०सौ० आश्रित 2 % | योग |
|----------|-----------------------|------------|--------|----------------|------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----|
| 1        | 2                     | 3          | 4      | 5              | 6          | 7           | 8                  | 9                     | 10  |
| 1        | अनास्थित 63 %         | 35         | 11     | 04             | 01         | -           | 01                 | -                     | 02  |
| 2        | अनुसूचित जाति 19 %    | 11         | 06     | 02             | 01         | -           | 01                 | -                     | 02  |
| 3        | अनुसूचित जनजाति 04 %  | 02         | 02     | -              | -          | -           | -                  | -                     | -   |
| 4        | अन्य पिछड़ा वर्ग 14 % | 08         | 02     | 03             | 01         | -           | -                  | 01                    | 02  |
|          | योग                   | 56         | 21     | 09             | 03         | -           | 02                 | 01                    | 06  |

  
 (एच०के० उप्रती)  
 प्रमुख अभियन्ता